मॉड्यूल 3: विशेष किशोर पुलिस इकाई

सत्र 4: विशेष किशोर पुलिस इकाई (एसजेपीयू) के पदाधिकारियों तथा कर्मियों की विशिष्ट भूमिका और उत्तरदायित्व

अवधि: 11:28 मिनट

मॉड्यूल 3 सत्र 4: विशेष किशोर पुलिस इकाई के पदाधिकारियों तथा कर्मियों की विशिष्ट भूमिका तथा उत्तरदायित्व

सत्र के उद्देश्य

वर्णन और सूचीबद्ध करना

- एसजेपीयू अधिकारियों और कर्मचारियों की विशिष्ट भूमिकाएं और जिम्मेदारियां।
- सीसीएल के मामले में एसजेपीयू/ सीडब्ल्यूपीओ के कर्तव्य
- पुलिस क्या नहीं कर सकती

बाल कल्याण पुलिस अधिकारी

- बाल कल्याण पुलिस अधिकारी विशेष किशोर पुलिस इकाई का नोडल अधिकारी है और पुलिस स्टेशन में बच्चों से संबंधित हर मामले में कार्यवाही करता है।
- बाल कल्याण अधिकारी, बाल कल्याण समिति या किशोर न्याय बोर्ड का आदेश प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर बच्चे के निवास तक उसके अनुरक्षण के लिए उसके साथ जाता है।
- बाल कल्याण पुलिस अधिकारी विशेषतः अपराध के शिकार हुए बच्चे या अपराध करने वाले बच्चों के मामले, पुलिस, स्वैच्छिक और गैर सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर देखते हैं।

किशोर न्याय अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत, बच्चों के विरूद्ध अपराधों में पुलिस की भूमिका और प्रक्रिया:

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 76:

जो कोई भी बच्चे को भीख मांगने के कार्य में लगाता है या बच्चे से भीख मंगवाता है, उसे पांच वर्ष तक का कारावास और एक लाख रूपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है ।

अधिनियम की धारा 77:

जब कोई बच्चा मादक पदार्थों जैसे नशीली शराब या नशीली दवाईयां या मनोत्तेजक मादक पदार्थों या तम्बाकू के प्रभाव में है या उसके पास से यह पदार्थ मिलते हैं जिसमें पदार्थ बेचने के लिए भी शामिल है, तब पुलिस को यह छानबीन करनी होगी कि बच्चा इन मादक पदार्थों के प्रभाव में कैसे आया या बच्चे के पास यह मादक पदार्थ कहां से आया और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज़ करनी चाहिए।

अधिनियम की धारा 78:

जब एक बच्चा नशीली शराब, या नारकोटिक ड्रग्स या मनोत्तेजक मादक पदार्थ बेचते हुए, ले जाते हुए, आपूर्ति करते हुए या तस्करी करते हुए पाया जाता है तो पुलिस को यह छानबीन करनी चाहिए कि बच्चे के पास यह मादक तथा नशीले पदार्थ कहां से आए और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज़ रनी चाहिए।

अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें

अधिनियम की धारा 80:

जब कोई अनाथ, परित्यक्त या त्यागे गए बच्चे को, अधिनियम तथा नियम में निर्धारित कार्य पद्धति का पालन किए बिना, गोद लेने के लिए किसी को दिया या किसी के द्वारा लिया जाता है तो पुलिस को स्वतः संज्ञान लेना या उस संबंध में सूचना प्राप्त होने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज़ करनी चाहिए।

अधिनियम की धारा 81:

किसी बच्चे के बेचने या खरीदने की सूचना मिलने पर पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज़ करनी चाहिए।

कानून का उल्लंघन करने की आशंका के मामले में विशेष **किशोर पुलिस इकाई और बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के कर्तव्य:**

आइये अब हम देखें कि बच्चों से संबंधित अपने कर्तव्यों का पालन करते समय पुलिस को किन–किन बातों का ध्यान रखना होता है जैसे बच्चे को पकड़ना उसे रखने का स्थान, पूछताछ और सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट तैयार करना।

कानून का उल्लंघन करने वाला बच्चा तब तक निर्दोष माना जाता है, जब तक कानूनन उसका दोष सिद्ध न हो जाए इसलिए दोष स्वीकारने के लिए उस पर दबाव नहीं डालना चाहिए।

- किसी भी कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे को पुलिस हिरासत में लेकर सूर्यास्त से सूर्योदय तक पुलिस थाने में नहीं रखा जा सकता है। विकल्प न होने पर बच्चा पुलिस स्टेशन में रखा जा सकता है, किन्तु लॉकअप में या किसी वयस्क आरोपी के साथ नहीं रखा जा सकता। बच्चे को अगर पुलिस थाने में रखा जाता है तो वह बाल कल्याण पुलिस अधिकारी या विशेष किशोर पुलिस इकाई के सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता या माता–पिता की देखरेख और उपस्थिति में रखा जाएगा।
- कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे को सुने जाने और अपने विचारों या अपना बचाव करने के लिए स्वतंत्र रूप से बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए।
- पुलिस या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा बच्चे से पूछताछ का विवरण "कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे का कथन" के रूप में दर्ज़ किया जाएगा और अगर इससे यह प्रकट होता है कि बच्चे के साथ किसी ने दुर्व्यवहार किया है या गलत रवैया अपनाया है जिससे अपराध करने का दबाव बना, तब ऐसे कृत्य के लिए दोषी व्यक्ति या व्यक्तियों के खिलाफ तुरंत उपयुक्त कार्यवाही शुरू कर दी जानी चाहिए।

- कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे के खुलासे के बयान को रिकॉर्ड करना और बच्चे का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लेना वर्जित है जैसा कि वयस्कों के मामले में है।
- एक कानून के उल्लंघन के आरोपित बच्चे को सुने जाने का अवसर दिया जाना चाहिए तथा उसे अपने विचारों को व्यक्त करने तथा बचाव की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।
- हिरासत में लिए गए बच्चों की उम्र पर विचार करते हुए उनकी जरूरतों का ध्यान रखा जाना चाहिए।
- बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को वर्दी में नहीं, बल्कि सादे कपड़े में रहना चाहिए।
- पुलिस अधिकारी/बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे को खाना, पानी, शौचालय की सुविधा, फोन की सुविधा प्राप्त हो और अगर जरूरत हो तो आपातकालीन चिकित्सा सेवा भी उपलब्ध हो।
- कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे की निजता और गोपनीयता को पूरा सम्मान दिया जाना चाहिए।
- कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे के बारे में ऐसी जानकारी जो इसकी पहचान बताए, वह प्रकाशित नहीं की जानी चाहिए और/या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए।
- कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे का रिकॉर्ड गोपनीय रखना चाहिए और अधिकृत व्यक्तियों के अलावा किसी भी व्यक्ति या एजेंसी की पहुंच में नहीं होना चाहिए।
- यह संबंधित पुलिस अधीक्षक की ज़िम्मेदारी है कि बच्चे को कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे के रूप में प्रचारित होने या लांछन लगने से बच्चे को बचाया जाए और उसे इस प्रकार का कोई नुकसान न पहुंचे।
- यह बाल कल्याण पुलिस अधिकारी का दायित्व होना चाहिए कि वह सुनिश्चित करें कि किसी भी अपराध के आरोपी जो बच्चा जैसा दिखता है या बच्चा होने का दावा करता है उसके साथ वयस्कों की तरह बर्ताव न किया जाए
- अगर बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को ऐसा महसूस होता है तो तुरंत पुलिस थाना प्रभारी को रिपोर्ट करें तथा विशेष किशोर पुलिस इकाई को भी सूचित करें।
- अगर कोई भी व्यक्ति किसी पुलिस अधिकारी से संपर्क करके यह आरोप लगाता है कि कोई व्यक्ति जो एक बच्चा है, उसके साथ उस पुलिस स्टेशन के किसी पुलिस अधिकारी ने वयस्कों जैसा बर्ताव किया है, या गलत तरीके से व्यवहार किया है तो यह उस पुलिस अधिकारी की ज़िम्मेदारी होगी कि ऐसी शिकायतकर्ता का बयान दर्ज़ करें।
- तब वह पुलिस अधिकारी इस शिकायत को तत्काल प्रभाव से डेली डायरी में दर्ज़ करेंगे और इस विषय को संबंधित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी या जाँच अधिकारी या थानाध्यक्ष के संज्ञान में लाएंगे; तथा
- वह पुलिस अधिकारी ऐसे मामलें में सुधारात्मक कदम उठाएंगे।
- ऐसी शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर, ऐसी शिकायत की रिपोर्ट, डेली डायरी में दर्ज़ एन्ट्री की प्रति, उठाए गए कदमों का विवरण या प्रस्तावित कदमों का विवरण, विशेष किशोर पुलिस इकाई को अग्रेषित की जानी चाहिए।

सामाजिक पृष्ठभूमि

- बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा प्रत्येक बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि और हिरासत में लेने की परिस्थितियां तथा अपराध में बच्चे के तथाकथित रूप से शामिल होने के आरोप को फॉर्म 1 में दर्ज़ करके बोर्ड को भेजा जाएगा।

- सही सूचना एकत्रित करने के लिए विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को बच्चे के माता–पिता से संपर्क करना आवश्यक होगा।
- इसके अलावा, किसी भी नियम अथवा कानून के अंतर्गत एक अपराधी को वे सभी गारन्टी और संरक्षण जो उस समय लागू हैं, कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे को भी उपलब्ध कराया जाएगा।

अधिक जानकारी के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें

विशेष किशोर पुलिस इकाई में सामाजिक कार्यकर्ता के कर्तव्य

हमने पहले जाना था कि विशेष किशोर पुलिस इकाई में 2 सामाजिक कार्यकर्ता जिसमें कम से कम एक महिला सदस्य होना एक वैधानिक आवश्यकता है।

निम्नलिखित कार्यों में सामाजिक कार्यकर्ता विशेष किशोर पुलिस इकाई को सहयोग देंगे:

- बच्चे को पकड़ना – विशेष किशोर पुलिस इकाई तथा ज़िला बाल संरक्षण इकाई समन्वय करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि बच्चे के पकड़े जाने के समय सामाजिक कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे।
- किसी लड़की को पकड़ते समय महिला सामाजिक कार्यकर्ता को उपस्थित रहना चाहिए।

चलिए अब हम दुबारा उन एजेंसियों और निकायों को देखते हैं जिनसे विशेष किशोर पुलिस इकाई को तालमेल एवं समन्वय बिठाना पड़ता है। विशेष किशोर पुलिस इकाई की संबद्धता तथा जुड़ाव

- ➢ विशेष किशोर पुलिस इकाई/बाल कल्याण पुलिस अधिकारी
- ➢ चाईल्ड लाईन
- ➢ किशोर न्याय बोर्ड
- ➢ गैर सरकारी संस्थाएं
- ➢ ज़िला बाल संरक्षण इकाई
- ➢ विधि अधिकारी
- ➢ बाल कल्याण समिति
- ➢ बाल देखरेख संस्थान– बाल कल्याण अधिकारी/परिवीक्षा अधिकारी

अभी तक हमने पुलिस के कर्तव्यों पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। अब चलिए यह जानते हैं कि पुलिस क्या नहीं कर सकती है। पुलिस क्या नहीं कर सकती है

यद्यपि बच्चों के अधिकार, सिद्धांतों, उद्देश्यों एवं किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की विषय–वस्तु में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है, फिर भी सीआरपीसी में बच्चों के ऐसे अधिकार चिन्हित हैं जो पुलिस से जुड़े हैं। ये निम्नलिखित हैं:

- सीआरपीसी की धारा 160 के अनुसार पंद्रह वर्ष से कम या पैंसठ वर्ष से अधिक आयु के किसी पुरुष व्यक्ति अथवा महिला या मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति को उनके निवास स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर जाँच के लिए उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी।
- मनमानापूर्ण हिरासत गैर कानूनी है
- सीआरपीसी की धारा 50, 56 एवं 57 ने इस बात को अनिवार्य किया है कि हिरासत में लिए जाने का कारण जाने बिना किसी भी व्यक्ति को हिरासत में रोका नहीं जा सकता।
- जिसे हिरासत में लिया गया है उसे गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- सीआरपीसी की धारा 167 के तहत पुलिस कस्टडी में रोकने के लिए कोई आवेदन मान्य नहीं होगा।
- सीआरपीसी की धारा 161 के तहत बच्चे से अपराध स्वीकारोक्ति किसी बयान वाले कागज पर पुलिस के सामने हस्ताक्षर कराकर नहीं लिया जा सकता है और अगर लिया भी गया है तो यह बच्चे के खिलाफ सबूत के रूप में पेश नहीं किया जा सकता।